

भारत सरकार

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

राज्य इकाई: पंजाब हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश,

प्लॉट न० 3, सैक्टर - 33-बी, चंडीगढ़।

सं. 1817 /पेंशन अदालत/राज्य इकाई: पीएच एंड एच पी/चंडीगढ़/2019 दिनांक : 09-08-2019
सेवा में,

अपरमहानिदेशक एवं विभागाध्यक्ष ,

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण,

उत्तरीय क्षेत्र, सैक्टर ई,

अलीगंज, लखनऊ ।

ध्यानाकर्षण: (निदेशक एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरीय क्षेत्र, लखनऊ)


विषय : Nationwide pension Adults-Nomination of Nodal Officer reg.

संदर्भ: आपका पत्र संख्या 249P/PEN/GSI/NR/Misc-2011(Vol-I) दिनांक 05-08-2019
महोदय,

आपके संदर्भित पत्र के अनुसार सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय से श्री संदीप ग्रोवर, प्रशासनिक अधिकारी को दिनांक 23/08/2019 को होने वाली पेंशन अदालत का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस संदर्भ में एक परिपत्र आपको Portal पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

भवदीय

संलग्न: उपरोक्त ।


(परमिंदर सिंह सेठी)
निदेशक एवं कार्यालयाध्यक्ष

भारत सरकार
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
राज्य इकाई: पंजाब हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश,
प्लॉट न० 3, सैक्टर - 33-बी, चंडीगढ़।

संख्या 1318 /पेंशन अदालत/राज्य इकाई: पीएच एंड एच पी/चंडीगढ़/2019 दिनांक 09-08-2019

परिपत्र

भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 28.6.2019 के पत्र संख्या 1/12/2019-P&PW(G) एवं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, केंद्रीय मुख्यालय के दिनांक 12.07.2019 के पत्र संख्या 3781/5/A-38017/Revision Pension/Pre-2016/2017/57 के अनुपालना में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, राज्य इकाई: पंजाब हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ कार्यालय में दिनांक 23 अगस्त 2019 को सुबह 11.00 बजे पेंशन अदालत का आयोजन किया जायेगा। उक्त पेंशन अदालत के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा श्री संदीप गोवर, प्रशासनिक अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

इस कार्यालय से सेवानिवृत्त /परिवार पेंशन पानेवाले सभी पेंशनभोगियों से निवेदन है कि यदि किसी को उनके पेंशन, पेंशन लाभ या पेंशन संशोधन से संबन्धित कोई शिकायत हो तो कृपया उक्त पेंशन अदालत में सभी संबन्धित मूल दस्तावेजों जैसे कि PPO बुक, इस कार्यालय/PAO/CPAO से प्राप्त पत्र, पेंशन बैंक खाता पासबुक, अन्य संबन्धित दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर अपने शिकायत का निराकरण करें।

उक्त पेंशन अदालत में उपस्थित होने से पहले संबन्धित पेंशनभोगियों से निवेदन है कि वह अपनी पेंशन संबन्धित शिकायत संबन्धित दस्तावेजों के साथ नोडल अधिकारी के नीचे दिये ईमेल पते पर या मोबाइल नंबर पर दिनांक 19 अगस्त तक प्रेषित कर दें।

नोडल अधिकारी:-

श्री संदीप गोवर, प्रशासनिक अधिकारी,
ईमेल: sandeep.grover@gsi.gov.in
मोबाइल नंबर : 9415193499

परमिंदर सिंह
(परमिंदर सिंह सेठी)
निदेशक एवं कार्यालयाध्यक्ष